

## 6. स्वयं की पहल पर जानकारी का खुलासा

क्र. सं.	वस्तु	प्रकटीकरण का विवरण	टिप्पणियाँ/संदर्भ बिंदु (पूर्णतः पूरा/आंशिक रूप से पूरा/पूरा नहीं/लागू नहीं होने को पूर्णतः पूरा/आंशिक रूप से पूरा माना जाएगा)
6.1	वस्तु/सूचना का खुलासा किया जाए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।		संस्थान ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर पंजीकृत है और पोर्टल के साथ-साथ ऑफ़लाइन से प्राप्त सभी आरटीआई प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। अधिकांश जानकारी नीचे दिए गए लिंक में प्रकाशित की गई है। <a href="https://iiitk.ac.in/आरटीआई/पेज">https://iiitk.ac.in/आरटीआई/पेज</a> <a href="https://iiitk.ac.in/">https://iiitk.ac.in/</a>
6.2	भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशा-निर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) का पालन किया जाता है (फरवरी 2009 में जारी किया गया और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया)	6.2.1 क्या एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है और इसकी वैधता क्या है।	हम संस्थान की वेबसाइट विकसित करने और STQC प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। संस्थान ने STQC प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
		6.2.2 क्या वेबसाइट पर प्रमाणपत्र दिखाया गया है?	एसटीक्यूसी प्राप्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे।